अधीक्षक का कार्यालय,
जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, भागलपुर
निविदा आमंत्रण सूचना

जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, भागलपुर में बाह्य स्त्रोत से विद्युत कार्य के रख-रखाव एवं संपोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-2017 हेतु इच्छुक संस्था/ स्वयंसेवी संस्था/ फार्म/ एजेंसी/ से मुहरबंद निविदा समाचार पत्र में प्रथम प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर निबंधित डाक / स्पीडपोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है ।विलम्ब से प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के अगले दिन 11 बजे पूर्वाहन में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में खोली जाएगी ।

निविदा शर्तें निम्न प्रकार है :-

1. निविदादाता को अग्रधन की राशि के रूप में मो.- 50,000/- (पचास हजार) का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो एवं अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, भागलपुर के पदनाम से भुगतेय हो निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।
2. सफलीभुत निविदादाता को अधोहस्ताक्षरी के साथ इकरारनामा करना होगा । उसके पश्चात ही कार्यादेश निर्गत किया जाएगा ।
3. निविदा टंकित होना चाहिए । हस्तलिखित, काट-कूट एवं लिप्त लेखन वाले निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।
4. निविदादाता को जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अंतर्गत इमरजेंसी विभाग, पेइंग वार्ड, मानसिक विभाग, बाह्य विभाग, अधीक्षक कार्यालय, आई.सी.यू., ओब्स एवं गायनी विभाग, शिशुरोग विभाग, मेडिसिन विभाग, टी. बी. एवं चेस्ट मेडिसिन, अस्थिरोग विभाग, Eye एंड ENT विभाग, सर्जरी विभाग, MDR, Skin VD, एनेस्थेसिया विभाग, सभी ऑपरेशन थिएटर काम्प्लेक्स, क्लिनिकल पैथोलॉजी, रेडियोलोजी विभाग, संक्रामक रोग विभाग, ब्लड बैंक, नर्सिंग एवं इंटर्न हॉस्टल (Boys & Girls), लेक्चर थिएटर, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम एवं अस्पताल कैंपस के भवनों में निम्न कार्य कराना होगा ।
   I. उपर वर्णित सभी भवनों में विद्युत आपूर्ति बाधित होने, पंखा, बल्ब, मशीन एवं AC नहीं चलने की स्थिति में जल्द हीं जाँच कर निर्वाध रूप से विद्युत आपूर्ति करना ।
   II. वायरिंग के मेंटेनेंस का कार्य करना ।
   III. छोटा- मोटा वायरिंग का कार्य करना ।
   IV. अस्पताल के अंतर्गत आनेवाले ट्रांसफार्मर पर यदि फ्यूज उड़ जाये तो तुरंत उसे ठीक करना, ओवरहेड तार का रख-रखाव आदि ।यदि तार टूट कर गिर जाता है तो उसे तुरंत जोड़ना ।
5. उपर्युक्त कार्यों के लिए कम से कम 06 manpower आईटीआई(विद्युत प्रशिक्षण प्राप्त) किया हुआ रखना अनिवार्य है ।
6. प्रतिदिन कराए गये कार्य का व्योरा पंजी में संधारित कर अवलोकनार्थ अस्पताल प्रबंधक के समक्ष प्रतिदिन प्रस्तुत करना होगा ।
7. एग्रीमेंट राशि का भुगतान अस्पताल प्रबंधक, जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल द्वारा प्रदत्त कार्य संतोषजनक प्रमाणपत्र के आधार पर किया जाएगा ।

(क) तकनिकी निविदा :- इसके तहत निविदादाता को निम्न कागजात प्रस्तुत करना होगा ।

I. निविदादाता संस्था/ स्वयंसेवी संस्था/ फर्म/ एजेंसी का निबंधन प्रमाणपत्र ।

II. निविदादाता संस्था/ स्वयंसेवी संस्था/ फर्म/ एजेंसी का सर्विस टैक्स निबंधन प्रमाणपत्र ।

III. जमानत की राशि का बैंक ड्राफ्ट ।

IV. विद्युत कार्य कराने सम्बन्धी लाइसेंस ।

V. निविदा के साथ संलग्न किये गये कागजातों का चेक स्लिप ।

(ख) वित्तीय निविदा के तहत किये जाने वाले कार्य का दर प्रतिमाह अंकित करना होगा जिसमें आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त तकनीशियन का मानदेय, विद्युत औजारों का भुगतान, सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज का दर समर्पित रहेगा ।

8. विद्युत सामग्री की आपूर्ति अस्पताल प्रशासन द्वारा की जाएगी ।
9. कार्य संतोषजनक पाए जाने पर एक- एक वर्ष का अवधि विस्तार की दिया जा सकता है ।
10. एक माह का नोटिस देकर चयनित एजेंसी को हटाने का अधिकार अधीक्षक को सुरक्षित रहेगा ।
11. इस निविदा को अंशतः या पूर्णतः रद्द करने अधिकार अधीक्षक को सुरक्षित रहेगा ।
12. चयनित एजेंसी को 15 दिनों के अन्दर 100 रू. के गैर न्यायिक स्टाम्प पर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा ।
13. एकरारनामा के साथ एक लाख रूपये का बैंक ड्राफ्ट/ बैंक गारंटी जमानत राशि के रूप में जमा रखना होगा जिसे 13 महीनें पश्चात् वापसी हो सकेगी ।

अधीक्षक

जवाहरलाल नेहरु

मेडिकल कॉलेज एवं

अस्पताल,

भागलपुर ।